



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/A3-99(3)/2020

प्रेषक,

**बृजेश कुमार संत,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलसचिव,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड**  
महोदय,

देहरादून दिनांक ०५ फरवरी, 2021

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 477/केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 18.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम०बी० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल एम०ए०/एम०एस-सी० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है:-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	एम०बी० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	एम०ए०/एम०एस-सी० (भूगोल)	20 सीट	सत्र 2019-20

(i) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करेगी तथा विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना से मा० कुलाधिपति महोदय को अवगत करायें।

(ii) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(बृजेश कुमार संत)**  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2841 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-99(3)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, एम०बी० राजकीय स्नातकोत्तर हल्द्वानी, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु। (१:१)

आज्ञा से,

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**  
कुलाधिपति के अपर सचिव।